CNR NO. **UPGZ**01-010813-2022

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–13 गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध वाद संख्या 21/2022

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-250/2022)

श्रीमती अमिता सिंह बनाम श्रीमती बिरोज सिन्हा आदि

उपस्थित:-

1–वादिनी श्रीमती अमिता सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

2–प्रतिवादी संख्या 01 ता 07 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार।

3–प्रतिवादी संख्या 08 की ओर विद्वान अधिवक्ता श्री विकास चौधरी।

22-11-2023

पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु के निर्धारण हेतु पेश हुई। सम्पूर्ण पत्रावली का वादपत्र, प्रतिवादपत्र व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैंः-

1. क्या वादनी अप्राप्तव्य कु० अविका सिंह की संरक्षिता प्राप्त करने हेतु सक्षम व दायित्वाधीन व्यक्ति है?
2. क्या वादनी से भिन्न कोई अन्य रक्त संबंधी या निकटवृत्ती अप्राप्तव्य कु० अविका सिंह की संरक्षिता प्राप्त करने का दावेदार या अधिकारी है?
3. क्या अप्राप्तव्य कु० अविका सिंह के स्व० माता पिता द्वारा छोड़ी गयी चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई वसीयत की गयी है या नहीं या कोई वसीयती संरक्षक है?
4. क्या वादनी को नाबालिग कु० अबिका सिंह के मृतकगण माता पिता द्वारा छोड़ी गयी चल व अचल सम्पत्ति का संरक्षक बनाने में कोई विधिक बाधा विद्यमान है?
5. क्या वादनी को नाबालिग कु० अविका सिंह व उके मृतकगण माता पिता द्वारा छोड़ी गयी चल व अचल सम्पत्ति का संरक्षक नियुक्त किये जाने में नाबालिग कु० अविका सिंह व उसकी पैतृक चल व अचल सम्पत्ति के हित व कल्याण में है?
6. क्या वादनी संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 की धारा 17 के प्रावधानों के अनुपालन में अप्राप्तव्य की विधिक संरक्षकता प्राप्त करने की अधिकारी है?

इस स्तर पर अन्य कोई वाद बिन्दू न्यायालय की मत में उत्पन्न होना प्रतीत नहीं होता है और न ही किसी बिंदू पर बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते वादनी साक्ष्य दिनांक 04.12.2023 को प्रस्तुत हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-13, गाजियाबाद।